



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN  
AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8900/2026  
CNR: RJHC010638582026 | URN: CRLMB / 19321U / 2026

Surajmal S/o Motaram, Aged About 59 Years, R/o Badiya  
Shyama Beawer, Police Station Saket Nagar, District Beawer (At  
Present Lodged At Central Jail Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

-----Respondent

---

|                   |   |                                                                              |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Anand Purohit, Sr. Adv. With<br>Mr. Pradeep Bhakar<br>Mr. Dhruv Chandora |
| For Respondent(s) | : | Ms. Sonu Manawat, PP<br>Mr. Firoz Khan<br>Mr. Divakar Sharma                 |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT**

**Order**

**27/07/2026**

**01.**           प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना उदयमंदिर, जिला जोधपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 93/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 419, 120बी भारतीय दंड संहिता के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

**02.**           बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

**03.**           प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में पूर्व में ब्यावर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 261/25 फर्जी आम मुख्त्यारनामे के आधार पर करवाई गई थी जो मुख्त्यारनामा भंवरलाल के हक में होना और भंवरलाल द्वारा कुलदीप जांगिड़ को आगे सम्पत्ति विक्रय करने का आरोप लगाया गया था। उसके संबंध में सिविल मुकदमा भी अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 3, ब्यावर में गोविंद देवड़ा बनाम बाबू लाल का पेश हुआ था उस मामले में दिनांक 19.02.2026 को स्थगन प्रार्थना-पत्र न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था अब पुनः फर्जी मुख्त्यारनामा बताते हुए पुलिस थाना उदयमंदिर, जोधपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 93/2026 दर्ज करवाई गई है। जबकि पूर्व में फर्जी आम मुख्त्यारनामा के संबंध में मुकदमा कर रखा है। द्वितीय मुकदमा उसी फर्जी मुख्त्यारनामा के नाम पर दर्ज नहीं



करवाया जा सकता और यह तर्क प्रस्तुत किया कि दोनों ही प्रकरणों में तथाकथित फर्जी मुख्यारनामा भंवरलाल के हक में होना बताया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा फर्जी मुख्यारनामा तैयार किया हो, यह स्पष्ट नहीं है और तथाकथित फर्जी आम मुख्यारनामा से प्रार्थी-अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

**04.** इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध किया। विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि ब्यावर में जो एफ.आई.आर. संख्या 261/25 दर्ज करवाई गई थी, उसमें फर्जी आम मुख्यारनामा दिनांक 04.01.2024 का था और अब जो उदयमंदिर थाना में इस प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है उसमें आम मुख्यारनामा दिनांक 12.01.2024 का है और पुलिस द्वारा एफ.एस.एल. में जांच करवाकर यह मुख्यारनामा फर्जी माना है। जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर होना नहीं माना गया है। प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा मौके पर कब्जा करने का प्रयास किया और प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा ही मुख्यारनामा बनाते समय पहचान की गई। अतः प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

**05.** मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में इस स्टेज पर दोनों प्रकरणों में मुख्यारनामा दिनांक 04.01.2024 और दिनांक 12.01.2024 अलग-अलग अंकित किए गए हैं और जो मुख्यारनामा इस प्रकरण के संबंध में बताया गया है, उसमें प्रार्थी-अभियुक्त के हस्ताक्षर गवाह संख्या 4 के रूप में है। प्रार्थी-अभियुक्त के पक्ष में मुख्यारनामा नहीं है ना ही प्रार्थी-अभियुक्त को संपत्ति ट्रांसफर की गई है। इस स्टेज पर प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर नतीजा आने बाद नतीजा विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

**06.** बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**07.** परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **सूरजमल पुत्र मोटाराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो

[2026:RJ-JP:34641]



[CRLMB-8900/



2026:RJ-JP:34641

जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

28/Mayank Rankawat/629